23.6.17

पत्रावली कोर्ट केम्प स्थान आज के द्वारा केम्प कार्यालय के अन्दर हुई। प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर निर्णीत किया गया। निर्णय आज्ञा व डिक्री जारी आगामी कार्यवाही किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी व दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार–2017 केम्प कारोई कलां
पीठासीन अधिकारी : सुश्री रेनु मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 100/2017

1. श्री नारायण पिता चतरा गाडरी, निवासी–एकलिंगपुरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
2. श्री नानू राम पिता चतरा गाडरी, निवासी–एकलिंगपुरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री डालू पिता प्रताप गाडरी, निवासी–एकलिंगपुरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
2. श्री शंकर पिता गुलाब गाडरी, निवासी–एकलिंगपुरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा
3. श्री उदयराम पिता कालू गाडरी, निवासी–एकलिंगपुरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा
4. श्री हजारी पिता चुन्नी लाल गाडरी, निवासी–एकलिंगपुरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा
5. श्री नानू पिता हुकम गाडरी, निवासी–एकलिंगपुरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा
6. श्री लेहरू पिता अमरा गाडरी, निवासी–एकलिंगपुरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा
7. श्री धर्मा पिता कल्ला रेबारी, निवासी–एकलिंगपुरा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128
राजस्थान भू–राज.अधि., 1956
निर्णय

दिनांक 23.06.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज. अधि.के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 24.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम एकलिंगपुरा, पटवार क्षेत्र तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 126 में स्थित आराजी संख्या 308 रकबा 02–14 बीघा किता 01 कुल रकबा 02–14 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम पर है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 07 अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम एकलिंगपुरा, पटवार क्षेत्र तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 126 में स्थित आराजी संख्या 308 रकबा 02–14 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 02–14 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम पर है। उक्त भूमि की पत्थरगढी फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 300/– अक्षरे तीन सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे *जमा* कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 23.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(रेनु मीणा)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
भीलवाडा